राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय आर.ए.एस

राजस्व वाद :– 153/2016

तारीख दायर :'– 28/12/2016

वादीगण :–

1. सायर कंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह
2. कैलाश कुवंर पुत्री श्री स्व नारायण सिंह
3. मानसिंह पुत्र श्री स्व नारायण सिंह
4. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह

जातिगणः– राजपूत निवासीगण :– घाणेराव तहसील देसूरी
जिलाः– पाली(राज) वादीगण स 2, 3 व 4 की कुदरती वालिया माता सायंर कंवर पत्नी स्व नारायण सिंह है।

प्रतिवादीगण :–

1. भंवर सिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जातिः– राजपूत निवासीः– घाणेराव
2. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)
3. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिह
4. देवेन्द्र कंवर पुत्री भंवर सिंह जातिगणः– राजपूत निवासीगणः–घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली(राज.)

वाद बाबत धारा 53,88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1.श्री दिलीप व्यास अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

2. श्री नारायण सिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1,3 व 4 की ओर से।

निर्णय दिनांक 28/5/2019

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा घाणेराव के खसरा नम्बर क्रमश 1442 रकबा 0.0750 हैक्टर किस्म जाव दोयम, 1442/1 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म गै.मु आबादी खसरा नम्बर 1443 रकबा 3.1450 हैक्टर किस्म चाही दोयम/ जाव दोयम, 1444 रकबा 0. 0100 हैक्टर किस्म गै. मु बेरा खसरा नम्बर 1445 रकबा 0.1100 हैक्टर किस्म गै.मु सडा 1446 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म गै.मु रास्ता, 1447 रकबा 0.4400 हैक्टर किस्म जाव दो/चा.दो, 1451 कुल रकबा 5.91 हैक्टर लगात 47.50 भूमि मे

पेज लगातार 2 पर....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

वादीगण का 1/4 हिस्सा आता है। विवादित भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण का 1/4 हिस्सा हक खातेदारी का आता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड मे सम्पूर्ण भूमि दर्ज है। वादी संख्या 1 के पति व 2 से 4 के पिता स्व. नारायण सिंह का स्वर्गवास होने से वादीगण 1/4 हिस्सा भूमि मे काश्त करवाकर जीवन यापन करते है। कानूनन बंटवाडा नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को दखलदांजी करते है। तथा बेचान करते पर तुले हुए है। वादी ने वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण भूमि में से 1/4 हिस्सा वादीगण के खातेदार घोषित कर विभाजन का निवेदन किया गया है।

प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 की ओर से आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उन्हे सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उम्मेदसिंह देवेन्द्र कंवर को पक्षकार प्रतिवादी कायम किया गया।

प्रतिवादी गण संख्या 1 तथा 3 से 4 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगस्त भूमि में से खं. न. 1451 का विकय अन्यत्र किया जा चुका है एवं वर्तमान राजस्व रिकोर्ड मे हाल खं. न. 1451 रकबा 1.9700 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी हिस्से मे नही रही है तथा ख. न. 1442/1 रकबा 0.08 हैक्टर प्रतिवादी सं. 1 के नाम संपरिवर्तन होकर आबादी दर्ज है तथा ख.न. 1442 रकबा 0.0750 हैक्टर भूमि भी प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे अधिकारी मे रखते हुए घोषणा एवं विभाजन के लिये सहमत होना स्वीकार किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान खतौनी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 545 मे मौजा घाणेराव के ख. न. 1442, 1442/1, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा 3.94 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 स्वीकार करता है। एवंम वादीगण का 1/4 हिस्सा होना भी स्वीकार करता है। परन्तु खसरा नम्बर 1442/1 गै. मु आबादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संपरिवर्तित होकर आबादी दर्ज होना बताया एवम् खसरा 1442 भी प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा मे होने बताया तथा उक्त दोनो खसरे उसके कब्जा हिस्सा में रखे जाने का निवेदन किया एवम वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा घाणेराव खसरा नम्बर 1442, 1442/1, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा 3.94 हैक्टर भूमि 1/4 हिस्सा का खातेदार वादीगण तथा 1/4 हिस्सा खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 1/4 हिस्सा खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 तथा 1/4 हिस्सा का खातेदार 4 को घोषित किया जाकर दिनांक 02.08.2017 को घोषित 1/4, 1/4 हिस्सो के अनुसार परस्पर विभाजन की प्राथमिक डिकी पारित की गई। तथा विभाजन में ख. न. 1442 एवम ख. न. 1442/1 प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से बंट मे रखे गये। उपरोक्तानुसार पारित प्राथमिक डिकी आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी को भेज कर पृथक पृथक बंटवाडा रिपोट खसरा नम्बर, रकबा , लगान दर्शाते हुए आवागमन के लिए रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

पेज लगातार 3 पर....

रखते हुए विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया।

दिनांक 02.08.2017 को पारित प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार देसूरी से द्वारा 13.05.2019 को पारित प्राथमिक डिकी आदेश के परिपेक्ष्य मे पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव पर अधिवक्ता गण को सुनाया गया । अधिवक्ता गण प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिकी आदेश पारित किये जाना का निवेदन किया गया।

अतः तहसीलदार देसूरी प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नजरी नक्शा अनुसार विभाजन की अन्तिम डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं	नाम खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भंवर सिह पुत्र मोहब्बत सिहं राजपूत सा. देह खातेदार	1442 1442/1	0.0750 है. 0.0800 है.	जा. दो. गै. मु आबादी	0.75 रूपये —
	योग	02	0.1550 है.		0.75 रूपये
2.	सांयर कंवर पत्नी नारायण सिंह 1/4 कैलाश कुवर पुत्री नारायण सिंह 1/4 मानसिंह पुत्र नारायण सिंह 1/4 विरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण1/4 कौम राजपूत सा.देह खातेदार	1446 1447 1443	0.0800 है. 0.4400 है. 0.3640 है.	गै.मु रास्ता चा.दो.जा.दो चा.दो .जा.दो	— 2.50 रूपये 4.92 रूपये 2.00 रूपये
	योग	03	0.8840 है		15.12 रूपये
3	भंवरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 1/3 उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिह 1/3 देवेन्द्र कुवर पुत्री भंवरसिंह 1/3 कौम राजपूत सा.देह खातेदार	1443/1	2.6510 है	चा.दो जा.दों	22.30 रूपये 8.03 रूपये
	योग	01	2.6510 है.		30.33 रूपये
4.	भंवरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह 1/4 उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/4 देवेन्द्र कंवर पुत्री भंवरसिंह 1/4 सायर कंवर पत्नि नारायणसिंह 1/16 कैलाश कुंवर पुत्री नारायणसिंह 1/16 मानसिंह पुत्र नारायणसिंह 1/16 विरेन्द्र सिंह पुत्र नारायणसिंह 1/16 कौम राजपूत सा.देह खातेदार (सयुक्त)	1443/2 1444 1445	0.1300 है 0.0100 है 0.1100 है	जा.दो रास्ता गै.मु बेरा गै.मु. रास्ता	1.30 रूपये — —
	योग	03	0.2500 है		1.30 रूपये

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड के अमलदरामद एवं नक्शे मे तरमीन किया जावे। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय व डिकी का भाग माना जावे। कुल लगान 47.50 रूपये का पांच गुणा पर देय मुद्राक के प्रभावी नॉन जुडिसियल स्टाम्प वादी पेश करे। अन्तिम डिकी पर्चा जारी होकर राजस्व रिकोर्ड के अमलदरामद हेतु तहसीलदार देसूरी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28/05/2019 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली) व इजलास श्री रवि विजय आर ए एस

वादी	**ब ना म** **प्रतिवादीगण**
1. सायर कंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह 2. कैलाश कुवंर पुत्री श्री स्व नारायण सिंह 3. मानसिंह पुत्र श्री स्व नारायण सिंह 4. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जातिगणः– राजपूत निवासीगण :– घाणेराव तहसील देसूरी जिलाः– पाली(राज) वादीगण स 2, 3 व 4 की कुदरती वलिया माता सायर कंवर पत्नी स्व नारायण सिंह है।	1. भंवर सिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जातिः– राजपूत निवासीः– घाणेराव 2. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से) 3. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिह 4. देवेन्द्र कंवर पुत्री भंवर सिंह जातिगणः– राजपूत निवासीगणः–घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली(राज.)

दावा बाबत 53, **88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मुकदमा नम्बर :– **153/2016**

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री दिलीप व्यास मिजानिब मुदई नारायण सिंह भाटी वकील प्रतिवादी सं. 1,3 व 4 मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा घाणेराव ख. न. 1442, 1442/1, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 रकबा 3.94 हैक्टर मे से खं.न. 1442/1 गै.मु आबादी व खसरा नम्बर 1442 जाव दोयम प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से बट तथा खसरा नम्बर 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 के वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 एव 3, 4 का क्रमश 1/4, 1/4 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्रा.डिक्री जारी की गई । तहसीलदार देसूरी द्वारा पटवारी हल्का से विभाजन कर प्रस्ताव मगवाया गये। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार निम्नानुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाती है।1. भंवर सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह प्रतिवादी संख्या 01 के 1442, 1442/1 कुल 0.1550 हैक्टर जाव दो, गै. मु आबादी रखी गई। वादी सं. 1,2,3,4, के खसरा नम्बर 1446,1447,1443 कुल 0.8840 हैक्टर गै.मु रास्ता, चा.दो, जा.दो, बंट मे रखे गये। 3 प्रतिवादी सं. 1,3 व 4 के बट में ख. नम्बर 1443/1 रकबा 2.6510 हैक्टर चा.दो जा.दो रखे गये तथा प्रतिवादी सख्या 1,3,4 व वादी संख्या 1से 4 के ख.न. 1443/2, 1444, 1445 कुल रकबा 0.25 हैक्टर जा.दो. रास्ता, गै.मु बेरा व गै.मु. रास्ता सयुक्त रखा गया। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड के अमलदरामद एवं नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावे। कुल लगान रूपये 47.50 का पांच गुणा पर देय मुद्राक के प्रभावित नोन जुडिशियल स्टाम्प वादी पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

तहसीलदार देसूरी को अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह मई सन् 2019 को जारी किया गया।

मोहर

(रवि विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी(पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुतफरिक मिजान		